रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022024-251688
CG-DL-E-01022024-251688

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2024/माघ 11, 1945
No. 75] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024/MAGHA 11, 1945

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2024

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.111.- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 और धारा 205 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 की अनुसूची के पैरा VI के खंड 12क में, उप-खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) एजेंसी द्वारा जारी या नवीकृत असाइनमेंट का कोई प्राधिकार, यथास्थिति, उसके जारी या नवीकृत किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा:

परन्तु एजेंसी द्वारा जारी या नवीकृत असाइनमेंट का कोई प्राधिकार, जहां एक वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख 1 जनवरी से 30 जून के बीच आती है तो उस वर्ष के 30 जून तक या जहां एक वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख 1 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच आती है तो उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य होगा:

परन्तु यह और कि यदि व्यावसायिक सदस्य इस अवधि के दौरान सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो असाइनमेंट के लिए प्राधिकार उस तारीख तक विधिमान्य होगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./729/2023-24]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 421, तारीख 22 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.001, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 644, तारीख 18 सितम्बर, 2023 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.105, तारीख 18 सितम्बर, 2023 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2023 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2024

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2024

No. IBBI/2023-24/GN/REG111.— In exercise of the powers conferred by sections 196 and 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, in the Schedule, in para VI, in clause 12A, for sub-clause (6), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

"(6) An authorisation for assignment issued or renewed by the Agency shall be valid for a period of one year from the date of its issuance or renewal, as the case may be:

Provided that an authorisation for assignment issued or renewed by the Agency shall be valid till 30th of June of the year where the expiry of the period of one year falls from 1st of January to 30th of June, or till 31st of December of the year where the expiry of the period of one year falls from 1st of July to 31st of December:

Provided further that if the professional member attains the age of seventy years during this period, the authorisation for assignment shall be valid till such date."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./729/2023-24]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published *vide* Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG001 dated 21st November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 421 on 22nd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2023 published *vide* Notification No. IBBI/2023-24/GN/REG105 dated 18th September 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 644 on 18th September 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.02.01 18:57:53 +05'30'